न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 05/2022

अपीलान्ट

भैराराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट
निवासी जोगीनाडा तहसील खींवसर
जिला नागौर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 नानकराम पुत्र जुगताराम जाति जाट 2 अचलाराम पुत्र जुगताराम जाति जाट निवासी जोगीनाडा तहसील खींवसर जिला नागौर 3 ज्यानी देवी पुत्री जुगताराम पत्नी कोजाराम जाति जाट निवासी जोगीनाडा हाल निवासी माधाणियों की ढाणी तहसील खींवसर जिला नागौर 4 कमली पुत्री शेराराम 5 किशना देवी पुत्री शेराराम 6 नोजी पुत्री शेराराम 7 मोटाराम पुत्र गेनाराम 8 किशनाराम पुत्र मेघाराम 9 खींयाराम पुत्र मेघाराम 10 जीवनराम पुत्र बालूराम 11 दुर्गाराम पुत्र बालूराम 12 नोजी देवी पत्नी रेखाराम 13 लिछमणराम पुत्र रेखाराम 14 पेमाराम पुत्र तिलोकराम 15 हेमाराम पुत्र तिलोकराम 16 उदाराम पुत्र तिलोकराम 17 मेघाराम पुत्र अर्जुनराम जातियान जाट निवासीगण जोगीनाडा तहसील खींवसर जिला नागौर
18 तहसीलदार खींवसर

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. पांचाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 18 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.01.2023

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा मौजा बैराथलखुर्द के नामान्तरकरण सं. 881 निर्णय दिनांक 19.01.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.02.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 04.02.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से पांचाराम चौधरी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 18 की ओर से ओमप्रकाश पूनिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 17 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश नामान्तरकरण सं. 881 दिनांक 19.01.2022 की प्रमाणित फोटोप्रति, संवत् 2077 ग्राम बैराथलखुर्द की जमाबंदी की फोटोप्रति, स्टे नोटिस की फाटोप्रति, हक तर्कनामा की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से खतौनी सम्वत् 2077 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर के अनवान दीपी बनाम शेराराम प्रकरण संख्या 116/07 के फर्दअहकाम 06.09.2007 से 19.07.2012 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर में प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2022 पूर्णतया अवैध विधिविरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किए बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरकरण जैर अपील पारित किया है क्योंकि नामन्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने से काफी समय पूर्व खातेदार जुगताराम का देहांत हो चुका था। विधि अनुसार मृत व्यक्ति के पक्ष में अथवा विरूद्व नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर अपील काबिल निरस्त किए जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2014(1) पेज 509 से 513 नजीर पेश की है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–नामान्तरकरण जैर अपील से संबंधित विवादित खेताय बाबत एक राजस्व वाद अपीलांट भैराराम द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था। जिसमें दिनांक 20.01.2022 को स्थगन आदेश भी न्यायालय सहायक कलक्टर खींवसर द्वारा पारित किया गया था, जिसकी जानकारी रेस्पो. संख्या 18 को होने पर उन्होंने बेक डेट में नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया। इस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(V)– अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किये जाने के वक्त या उससे पूर्व किसी भी सहखातेदारान को कोई सूचना नहीं दी न ही नोटिस दिया, न ही सुनवाई का अवसर दिया। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत स्वीकृत किया गया होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलांट वादग्रस्त खेत का सह खातेदार है तथा स्व. पूनाराम अपीलांट के काका लगते थे। ऐसी स्थिति में उनके देहांत के पश्चात् उनके लाऔलाद फौत हो जाने से अपीलांट भी स्व. पूनाराम की भूमि में हक हिस्सा रखता है। ऐसी दशा में अपीलांट के हक हकूको के विरूद्व नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किए जाने से अपीलांट व्यथित पक्षकार है। इस कारण अपीलांट ने उक्त अपील पेश की है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता ने बहस में बताया कि यह नामान्तरकरण प्रशासन गांवों के संग अभियान में खोला गया था। उक्त नामान्तरकरण विधिअनुसार भरा गया है, जो यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार खींवसर द्वारा मौजा बैराथलखुर्द के नामान्तरकरण सं. 881 निर्णय दिनांक 19.01.2022 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व संबंधित पक्षकारो की संपूर्ण जानकारी/जांच की जानी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार खींवसर द्वारा मौजा बैराथलखुर्द के नामान्तरकरण सं. 881 निर्णय दिनांक 19.01.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर